

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर  
रसद प्रार्थना पत्र संख्या 55/2018

राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर

बनाम

.....प्रार्थी

राजस्थानी पवित्र भोजनालय, बस स्टेण्ड, केकडी, अजमेर जरिये श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बिहारी लाल टांक, निवासी: आलोक कॉलेज के पास, अजमेर रोड, केकडी

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित: श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश


दिनांक 02.01.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.02.2018 को जिला रसद अधिकारी अजमेर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डरों के अवैध रूप से गैस रिफिलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी एवं तहसीलदार केकडी द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा भोजन बनाकर ग्राहको को कीमतन विक्रय करते पाये जाने पर अप्रार्थी के व्यावसायिक स्थल से चार घरेलू गैस सिलेण्डर

| S.NO. | S.R.NO. | CO. | T.W. | G.W. | N.W.GAS | TYPE     |
|-------|---------|-----|------|------|---------|----------|
| 1     | 014002  | BPC | 15.3 | 19.3 | 4.0     | Domestic |
| 2     | 338061  | BPC | 15.9 | 16.5 | 0.6     | Domestic |
| 3     | 445227  | BPC | 15.6 | 19.0 | 3.4     | Domestic |
| 4     | 065759  | BPC | 15.5 | 29.5 | 14.0    | Domestic |

को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक कार्य में दुरुपयोग एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः चार घरेलू गैस सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर कृष्णा गैस ऐजेन्सी के कार्मिक लादूराम वर्मा पुत्र श्री ओंकारमल वर्मा, निवासी: भाग्योदय नगर, अजमेर रोड, केकडी, जिला-अजमेर सुपुर्दगी में दिये गये। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा चारो घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।



  
जिला कलक्टर  
अजमेर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 23.02.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये चार घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावे।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि वक्त निरीक्षण जब्त किये गये चारों खाली गैस सिलेण्डर उसके परिवार के हैं, जो घर पर गैस सप्लाई नही होने के कारण गैस भरवाने हेतु फर्म पर लाकर रखे थे। उक्त चारों घरेलू गैस सिलेण्डर खाली होने से उनका व्यवसायिक उपयोग नही किया गया है। अप्रार्थी द्वारा फर्म में व्यवसायिक सिलेण्डर ही उपयोग किया जाता है घरेलू सिलेण्डर का उपयोग नही किया जाता है अतः अप्रार्थी के विरुद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जाकर जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को लौटाये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के दर्ज नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन करते। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये चार घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



*Sharma*  
(विश्व मोहन शर्मा)  
जिला कलक्टर  
अजमेर